


कचन नमः
17-4-12

17/4/12 पत्रवाली पेश हुई। वकील वादी फरिद
नहीं हुआ। वास्तव में वकील अदालत रिपोर्ट में
कोर्ट भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील प्रतिपक्षी
अदालत काल में कि वादी की ओर से श्री हरि वा
एडवोकेट पेश की है। कोर्ट भी उपस्थित

मलय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

अतः दावा वादी अदम पैरवी खं अदम
हाजिरी मे खारिज किया जाता है। फायली
नम्बर ६ कम्पनी आका दाखिल दफ्तार है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन